बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी मिथिला महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह : एक ऐतिहासिक अध्ययन (1860-1946)

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय,
कामेश्वरनगर, दरभंगा

के

समाज विज्ञान संकाय (इतिहास)

में

पी–एच॰डी॰ हेतु प्रस्तावित शोध–प्रारूप

शोध पर्यवेक्षक
डॉ॰ मो॰ अमीर हमजा
असिस्टेंट प्रोफेसर
आर॰ के॰ कॉलेज, मधुबनी
ल॰ ना॰ मि॰ विश्वविद्यालय
दरभंगा

शोधार्थी
रिंकी कुमारी
इतिहास विभाग
ल॰ ना॰ मि॰ विश्वविद्यालय
दरभंगा
विश्वविद्यालय क्रमांक–22100366
वर्ग क्रमांक– 08

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय
कामेश्वर नगर, दरभंगा
पी॰–एच॰डी॰ उपाधि हेतु
प्रस्तावित शोध प्रबन्ध की रूपरेखा

1. शोध परियोजना का नाम :

शीर्षक– प्रस्तावित शोध प्रबन्ध का शीर्षक होगा :

'बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी मिथिला महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह : एक ऐतिहासिक अध्ययन (1860-1946)'

2. प्रस्तावना (शोध समस्या, शोध के मुद्दे) :

कोई भी ऐतिहासिक पुरुष अपनी संस्कृति का धरोहर होता है। महापुरुषों की जीवनियाँ याद दिलाती है कि हम भी अपना जीवन महान बना सकते हैं और मरते समय अपने पद–चिन्ह समय–रेत पर छोड़ सकते हैं। ऐसे ही महापुरुषों में ख्यात् थे– मिथिला के महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह। प्रस्तावित शोध प्रबन्ध इन्हीं महान् शख्सियत पर केन्द्रित है।

महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह मिथिला के वरद् पुत्र थे। मिथिला बिहार–नेपाल सीमा पर विदेह (तिरहुत) का प्रदेश है जो कोशी और गंडकी नदियों के बीच में स्थित है। इस प्रदेश की प्राचीन राजधानी जनकपुर में थी। रामायण काल में यह जनपद बहुत प्रसिद्ध था। सीता के पिता जनक का राज्य इसी प्रदेश में था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला के राजवंश का संस्थापक निमि था। मिथि इसके पुत्र थे और मिथि के पुत्र जनक।

मिथिला मिथि के नाम पर प्रसिद्ध हुई। वास्तव में जनक नाम के राजाओं का वंश मिथिला का सर्वप्रसिद्ध राजवंश हुआ। जिसका अन्तिम राजा कृति से जनक वंश का अन्त हुआ। ऐतिहासिक ब्राह्मणों के साक्ष्यों के अनुसार सन् 476 से 722 ई० तक कर्णाट क्षत्रिय नान्यदेव के वंशज राजाओं ने मिथिला में राज किया। 756 ई० में ब्राह्मण कुल के ओइनवार मैथिल राजा हुए। दस वर्षों के बाद नैयायिक महेश ठाकुर ने मिथिला का राज्य पाया। इस तरह महामहोपाध्याय महेश ठाकुर दरभंगा राज के संस्थापक थे। दरभंगा राज की स्थापना उन्होंने 1557 ई० में की थी। महेश ठाकुर के पूर्वज शंकर्षण एक उद्भट विद्वान थे। उन्हें वस्तर के राजा के द्वारा मध्य प्रदेश में खण्डवा गाँव अनुदान के रूप में 13वीं सदी में प्रदान किया गया था। उनके काल से इस वंश के लोगों ने अपने नाम के साथ उपनाम के रूप में ठाकुर जोड़ना शुरू किया तथा अपने को 'खाण्डवा' वंशज कहने लगे।

इसी खांडव वंश के श्रीपति ठाकुर मधुबनी के भौर गाँव में आकर बस गये। महेश ठाकुर श्रीपति ठाकुर के पोता थे। वे 'नव्य न्याय' एवं धर्मशास्त्र के महान ज्ञाता थे। उन्होंने मुगल दरबार में पेश होकर मुगल सम्राट अकबर के साथ मधुर संबंध स्थापित किया। उन्होंने अकबर से चौधराई एवं कानूनगोई प्राप्त करने के बाद भौर को ही अपने प्रशासन का मुख्यालय बनाया। बाद में चलकर महेश ठाकुर के छोटे पुत्र शुभंकर ठाकुर ने ही 16वीं सदी के अन्तिम चरण में दरभंगा राजा मुख्यालय को भौर गाँव से हटाकर मधुबनी शहर से

सटे भौआरा में स्थानान्तरित किया। 1762 ई॰ में इन्ही के वंशज महाराज प्रताप सिंह ने राज दरभंगा मुख्यालय भौआरा से दरभंगा स्थानान्तरित किया। जो आज भी दरभंगा–राज के नाम से जाना जाता है। इसी दरभंगा राज के राजा थे– रामेश्वर सिंह। जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा 'महाराजाधिराज' तथा 'सर' का विरूद्ध प्राप्त हुआ था। महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह मिथिला के दरभंगा राज के सिंहासन पर बैठने वाले खांडव वंश के सोलहवें महाराजा महेश्वर सिंह के दूसरे पुत्र थे। उनका जन्म 16 जनवरी 1860 को दरभंगा राज परिवार में हुआ था। उसी वर्ष जब नवम्बर 1860 में उनके पिता महाराजा महेश्वर सिंह की मृत्यु हो गई तो उनके उत्तराधिकारी बने पुत्र लक्ष्मेश्वर सिंह और रामेश्वर सिंह नाबालिग थे। इसलिए उनकी सम्पत्ति को कोर्ट ऑफ वार्डस् के अधीन रखा गया था। जिसके द्वारा नाबालिग के भरण–पोषण और शिक्षा सम्बन्धी देखभाल का प्रबंधन कोर्ट ऑफ वार्डस द्वारा ही किया जाता है। रामेश्वर सिंह ने अपने जीवन का प्रारंभिक समय अपने भाई की छत्रछाया में ही बिताया। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा दरभंगा, मुजफ्फरपुर में पूरी कर उच्च शिक्षा के लिए अपने बड़े भाई लक्ष्मेश्वर सिंह के साथ काशी (वाराणसी) चले गये। वहाँ क्वींस कॉलेज वाराणसी से उच्च शिक्षा ग्रहण किया। अपनी लगन एवं क्षमता के बल पर उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत तथा अन्य भाषाओं पर मजबूत पकड़ बना ली थी। अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के बल पर उन्होंने 1878 ई॰ में भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश कर लिया लेकिन

1882 में उन्होंने अपने निजी मामलों की देखभाल के लिए सेवा से इस्तीफा दे दिया।

रामेश्वर सिंह कुछ सालों तक सिविल सर्विस में रहकर अच्छा कार्य किया। वे सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में दरभंगा, छपरा तथा भागलपुर में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया। उन्हें सिविल अदालतों से छूट दी गई थी। क्योंकि उन्होंने गवर्नर के समय अतिरिक्त मानवीय क्षमता दिखायी थी। 1885 ई॰ में वे बंगाल विधान परिषद् के लिए चुन लिए गये थे। 1886 ई॰ में 'राजा बहादुर' बन गये। 21 सितम्बर 1904 को उन्हें बम्बई प्रांत से गोपाल कृष्ण गोखले के साथ बंगाल प्रांत का प्रतिनिधित्व करनेवाला एक गैर–कार्यकारी सदस्य नियुक्त किया गया। 1905 ई॰ में उन्हें लार्ड कर्जन ने सर एण्ड्रे फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस सुधार आयोग' का गठन किया। इस आयोग का रामेश्वर सिंह को सदस्य बनाया गया। वे इस आयोग के एक मात्र अवैतनिक सदस्य थे। वे एक मात्र इण्डियन पुलिस आयोग के सदस्य थे जो पुलिस रिपोर्ट पर अपनी असहमति जतायी तथा सुझाव दिया कि इण्डियन पुलिस सर्विस में सुधार के लिए एक साथ इंग्लैंड तथा भारत में सिविल सर्विस की परीक्षा ली जानी चाहिए। पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति में गोरे–काले की भेदभाव नहीं होनी चाहिए। रामेश्वर सिंह की सुझाव को इण्डियन पुलिस आयोग ने खारिज कर दिया। इस आयोग में बम्बई प्रांत से गोपाल कृष्ण गोखले को शामिल किया गया था। इस आयोग में रामेश्वर सिंह 5 वर्ष तक कार्य किया।

रामेश्वर सिंह 1828 में अपने बड़े भाई महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह की मृत्यु के बाद सबसे बड़ी जमींदारी दरभंगा के महाराजा बने। उन्हें ब्रिटिश सरकार की ओर से 'महाराजाधिराज' का विरूद प्राप्त हुआ था। वे विद्वानों का बहुत बड़े संरक्षक, कलाओं का पोषक एवं निर्माणकर्ता थे। उन्होंने अपने शासन काल में दरभंगा राज के प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए भारत के मुख्य–मुख्य नगरों में अनेक राजभवन का निर्माण करवाया। उन्होंने एक प्रतिष्ठित मंदिर भी बनवाया। उनके निर्माण कार्यों की तुलना प्रायः दिल्ली के मुगल बादशाह शाहजहाँ से की जाती थी। उन्होंने दरभंगा जिले के मधुबनी अनुमंडल के राजनगर में एक विशाल एवं भव्य राजप्रसाद का निर्माण करवाया था। उनकी इच्छा थी कि दरभंगा की जगह राजनगर को राजधानी बनाया जाय लेकिन यह इच्छा उनकी पूर्ति न हो सकी। हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी (वाराणसी) की स्थापना में उन्होंने पण्डित मदन मोहन मालवीय को अनेक तरह से सहायता किया था। उन्हें कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया था। वह पहले भारतीय थे जिन्होंने अवैतनिक रूप से स्थानीय सरकार में इक्ज्यूटिव कौंसलर के पद पर कार्य किया।

रामेश्वर सिंह ने अपने शासन काल में कानून व्यवस्था को बनाये रखा तथा राज्य में लोगों को सभी सुविधायें मुहैया कराने का भरपूर प्रयास किया। उस समय उनका 2500 स्क्वायर माइल्स में जमींदारो थी तथा उनका

सालाना आय 50 लाख रुपये की थी। उस समय वे बिहार तथा बंगाल में सबसे समृद्ध महाराजा थे। वे इम्पेरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में भी कुछ समय के लिए कार्य किया।

रामेश्वर सिंह ने समाज के विभिन्न क्षत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने मूलतः भारत धर्म महामंडल और हिन्दू महासभा के आयोजन में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने अस्पश्यता के खिलाफ भी साहसिक रूख अपनाया जिसके लिए रूढ़िवादी हिन्दू के चरमपंथी वर्ग ने उनकी निन्दा की। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में उनका विचार था कि इसमें धार्मिक शिक्षा भी शामिल होना चाहिए। इसलिए उन्होंने बनारस में हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एनी बेसेन्ट और मदन मोहन मालवीय से हाथ मिलाया। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, पटना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, दरभंगा मेडिकल कॉलेज और उस समय के अन्य संस्थान में भी महत्तर योगदान दिया। इतना ही नहीं महाराजा व्यावसायिक गतिविधियों में भी लगे रहे। वह 1908 में 'बंगाल नेशनल बैंक' के संस्थापक निदेशकों में से एक बने। वह सेंट्रल बैंक के भी सहयोगी थे और अपनी दो जूट मिलों और एक कपास मिल के साथ–साथ बंगाल, बाम्बे और संयुक्त प्रांत की कई कम्पनियों में एक बड़े शेयर धारक थे। उपरोक्त गुणों के बावजूद स्वामी विद्यानन्द के नेतृत्व में किसान विरोध

(1919–1923) से उनकी सम्पत्ति को नुकसान हुआ जिसका दरभंगा राज के राजस्व पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा।

प्रसिद्ध पत्रकार सी॰ वाई॰ चिंतामणि ने अपनी पेपर में लिखा है कि ''सर रामेश्वर सिंह अन्य राजाओं से भिन्न प्रकृति के राजा हैं, उनकी पहचान एवं योग्यता कई क्षेत्रों में थी। जमींदारी के साथ ही वह न्यायिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं में गहरी रूचि रखते थे। हिन्दुओं के सामाजिक सुधार में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय उनके योगदान को कभी भुला नहीं सकता है। इंडियन एंग्लो–जर्नल में उनके समस्त कार्यों को बखूबी चित्र उकेरा करती थी। वे सनातन हिंदू के धार्मिक नेता भी थे।

महाराजा रामेश्वर सिंह की योग्यता एवं विद्वता को देखते हुए उन्हें अनेक संस्थाओं का अध्यक्ष बनाया गया था। उसमें मुख्य है– ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष, बिहार लैंड होल्डर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष, सम्पूर्ण भारत का लैण्डहोल्डर्स सोसायटी का अध्यक्ष, जमींदारी पंचायत और भारत में हिन्दुओं के धार्मिक संगठन के, भारत धर्म महामंडल का अध्यक्ष। उन्हें राज्य परिषद का भी सदस्य बनाया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता का एम.ई.सी. भी बनाया गया। 1902 ई॰ में उन्हें कैसरे–ए–हिन्द की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई। 1909 ई॰ में वे लाहौर इण्डस्ट्रीयल कान्फ्रेंस में भाग लिया था। इस कान्फ्रेंस में उन्हें शैक्षणिक, पब्लिक गतिविधियों तथा अपने अनुभव को विस्तार से रखा था। उनके द्वारा शिक्षा में दिये गये

योगदान के कारण 19 जनवरी 1924 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति मदन मोहन मालवीय द्वारा उन्हें 'डॉक्टर ऑफ लिटरेचर' की उपाधि भी मिला था। दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह का निधन 3 जुलाई 1929 ई॰ को हो गया। वे अपने पीछे भरा–पूरा परिवार छोड गये जिसमें उनके बड़े लड़के कामेश्वर सिंह तथा छोटे लड़के बहादुर विश्वेश्वर सिंह थे। बड़े लड़के कामेश्वर सिंह दरभंगा राज के सबसे प्रतिष्ठित महाराजा बने। जिन्होंने 1929 से 1947 में भारत की आजादी तक शासन किया। वह राज दरभंगा के अंतिम शासक थे और 1960 में उत्तराधिकारी का नाम बताए बिना उनकी मृत्यु हो गई।

महाराजा रामेश्वर सिंह की मृत्यु के बाद स्टेट्समैन पत्र में प्रकाशित अंश– वह योग्य राजा था। वह बिहार के प्रमुख जमींदार थे। अपने क्षेत्र में जमींदार के रूप में अच्छे कार्यों के लिए विख्यात थे। वे अपना धन व्यवसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश किए परंतु उन्हें जितना लाभ होना चाहिए वैसा नहीं हुआ।

निःसंदेह, महाराजाधिराज सर रामेश्वर सिंह भारत के सबसे बड़े जमींदारों में से एक थे। लैंडलॉर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मैथिल महासभा, भारत धर्म महामंडल और बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी सोसाइटी के प्रमुख होने के नाते वह महान समाज सुधारक, प्राच्यविद् में से एक थे, जिन्होंने धार्मिक या स्थानीय शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। लेकिन इनके योगदानों को

इतिहास के पन्नों में उचित स्थान नहीं दिया गया, जो एक अध्ययनगत समस्या है, जिसका अध्ययन किया जाना है।

खेद का विषय है कि सबसे बड़े जमींदार, उद्योगपति, सामाजिक और राजनीतिक नेता होने के नाते, इस मैथिल कुलीन परिवार के सभी प्रयासों और गतिविधियों को आजादी के बाद न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर भी समकालीन और पूर्व के इतिहासकारों द्वारा या तो कमजोर कर दिया गया या पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। केवल कुछ इतिहासकारों ने उदाहरण के माध्यम से लक्ष्मेश्वर सिंह के उदारवादी रवैये से लेकर रामेश्वर सिंह के रूढ़िवादी रवैये और फिर कामेश्वर सिंह के उदारवादी रवैये के संक्रमण के चरण पर आंशिक रूप से ध्यान केन्द्रित किया है। लेकिन इतिहासकारों ने अभी तक रामेश्वर सिंह के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से किसी पुस्तक की रचना नहीं की है। संभव है, प्रस्तावित शोध–प्रबंध इस दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा।

3. पूर्व अध्ययन :

निश्चित तौर पर महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह बड़े प्रतापी, दयालु, विद्वान एवं दृढ़ प्रतिज्ञ विप्र राजा थे। लेकिन उनपर सारगर्भित रचना का अभाव देखा जा रहा है। फिर भी उनपर लिखी जो भी पुस्तकें उपलब्ध है, उनमें सम्बन्धित विषय की आशिंक जानकारी दी गई है। इन पुस्तकों में स्टीफन हेनिंघम की पुस्तक 'औपनिवेशिक भारत में एक महान राज्य और

इसके जमींदार : दरभंगाा (1860–1942)'' एक उत्कृष्ट रचना है, जिसमें रामेश्वर सिंह के साथ–साथ दरभंगा राज के सभी जमींदारों की चर्चा की गई है। हेतुकर झा की पुस्तक 'दरभंगा के एक उदार हिन्दू कालीन महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह (1860–1929)' भी काफी लोकप्रिय रचना है जिसमें रामेश्वर सिंह पर काफी कुछ जानकारी मिलती है। इसी क्रम में रमण दत्त झा द्वारा सम्पादित पुस्तक 'भारत में मिथिला' भी एक उल्लेखनीय रचना है। फिर भी आज महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह पर व्यापक रूप से कार्य करने की जरूरत है। उपरोक्त पुस्तकें इस अध्ययन को वस्तुनिष्ठता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगे। इसी क्रम में मेरा यह प्रस्तावित शोध कार्य इस दिशा में एक विनम्र प्रयास होगा।

4. उद्देश्य, महत्व एवं प्रासंगिकता :

प्रस्तावित शोध प्रबन्ध का उद्देश्य औपनिवेशिक काल में मिथिला को गौरव एवं महत्ता प्रदान कराने में महाराजाधिराजा रामेश्वर सिंह का अप्रतिम योगदान को दर्शाना है। जिसके तहत उनके बड़े भाई लक्ष्मेश्वर सिंह के उदारवादी और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में परिवर्तन क महत्वपूर्ण चरण का अध्ययन करते हुए उन कारणों और प्रभावों का भी अध्ययन करना है जो रामेश्वर सिंह को एक रूढ़िवादी शासक बनने की ओर ले जाते हैं। साथ ही औपनिवेशिक काल के दौरान रामेश्वर सिंह द्वारा किये गये सुधार के व्यवस्थित अध्ययन को सामने लाना है। इसके अलावे रामेश्वर सिंह के दौर में

दरभंगा राज की प्रकृति और विकास के विभिन्न चरणों को भी रेखांकित करते हुए 1920 के दशक में स्वामी विद्यानन्द के नेतृत्व में हुए किसान आंदोलन के उन कारणों का भी पता लगाना है जिसके कारण दरभंगा राज को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए इस अध्ययन का महत्व और भी बढ़ जाता है।

5. ज्ञान के क्षेत्र में योगदान :

प्रस्तावित शोध प्रबन्ध के जरिये हमें यह ज्ञात करना होगा कि महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह किस तरह बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी महाराजा थे। उनके व्यक्तित्व में किस तरह एक सक्षम प्रशासक, समाज सुधारक एवं सम्मानित शासक के गुण विद्यमान थे। अपने राज के शासन संचालन में उन्होंने एक मानदण्ड स्थापित किया था और निर्धारित पथ पर जीवन के अंतिम क्षण तक निर्भीकता पूर्वक चलते हुए सिर्फ मिथिला ही नहीं अपितु पूरे देश के नवनिर्माण में शिक्षा एवं उद्योग के प्रति उनकी ललक को आज के नौजवनों के समक्ष उजागर करना है, जिससे देश की युवा पीढ़ी कुछ सीख ले सके।

6. अध्ययन क्षेत्र :

प्रस्तावित शोध–प्रबन्ध का अध्ययन क्षेत्र महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह का जीवन एवं दर्शन होगा। जिनमें उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर बेबाकी से दृष्टिपात किया जायेगा। साथ ही उनके द्वारा मिथिला तथा सम्पूर्ण देश तथा समाज के प्रति किये गये अप्रतिम योगदानों को उकेर कर जनमानस के

समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें समकालीन इतिहास को नया सम्बल प्राप्त होगा।

7. अध्ययन पद्धति :

प्रस्तावित शोध प्रबन्ध के प्रयोजन से इसमें ऐतिहासिक, अन्वेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति का उपयोग किया जायेगा जिसमें मिथिला सहित पूरे भारतीय जनमानस में उनके द्वारा किये गये योगदानों के विभिन्न पक्षों को व्यवस्थित, तार्किक एवं विस्तृत रूप से विश्लेषण किया जायेगा। इस तरह प्रस्तावित शोध प्रबन्ध को व्यवहारिक एवं वस्तुनिष्ठ स्वरूप प्रदान करने का भरसक प्रयास किया जायेगा।

8. शोध सामग्री **की उपलब्धता :**

प्रस्तावित शोध कार्य की समस्या के कथन को अवधारणाबद्ध करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों के विभिन्न स्रोतों से प्रासंगिक साहित्य एकत्र किया जायेगा। इसके लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार एवं बिहार राज्य अभिलेखागार सहित दरभंगा में रामेश्वर सिंह के नाम पर स्थापित अभिलेखागार में संरक्षित सरकारी दस्तावेजों का अध्ययन किया जायेगा तथा कांग्रेस की गतिविधियों से सम्बन्धित तथा किसान आन्दोलन से सम्बन्धित रिपोर्ट्स एवं अन्य सम्बंधित दस्तावेजों के आधार पर विषय को अधिक व्यापक एवं प्रमाणिक बनाया जायेगा। साथ ही विषय से सम्बन्धित प्रकाशित पुस्तकों एवं अभिलेखों का भी गंभीर अध्ययन किया जायेगा। समकालीन

पत्र–पत्रिकाओं एवं अखबारों का भी सहारा लिया जायेगा, ताकि इसका अध्ययन विषय को प्रमाणिकता प्रदान कर सकें।

9. परिकल्पना (यदि कोई हो) :

प्रस्तावित शोध–प्रबन्ध कई परिकल्पनाओं पर तैयार किया जायेगा। कुछ प्रमुख परिकल्पनाएँ निम्नलिखित है :–

1. दरभंगा राज का निर्माण कैसे हुआ ?
2. रामेश्वर सिंह की प्रारम्भिक शिक्षा–दीक्षा कहा से हुई ?
3. कर्मनिष्ठ प्रशासक के रूप में रामेश्वर सिंह की पहचान क्या थी ?
4. भारत के औद्योगिक विकास में रामेश्वर सिंह का क्या योगदान है।
5. क्या रामेश्वर सिंह मात्र महाराजा थे या जीवन के अन्य क्षेत्रों में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया ?
6. औपनिवेशिक काल में रामेश्वर सिह ने क्या सुधार किया और इसका असर क्या हुआ ?
7. 1920 के दशक में स्वामी विद्यानन्द के नेतृत्व में चलाये गये किसान आन्दोलन के पीछे तात्कालिक कारण और मकसद क्या था ?

उपरोक्त परिकल्पनाओं के अतिरिक्त, अन्य परिकल्पनाओं का भी प्रस्तावित शोध–प्रबन्ध में परीक्षण किया जायेगा और उसके आधार पर ही पूरी वस्तुनिष्ठता के साथ शोध–प्रबन्ध को तैयार किया जायेगा।

10. कार्य योजना अथवा अध्यायीकरण :

प्रस्तावित शोध प्रबन्ध 'बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी मिथिला महाराजाधिराज रामोश्वर सिंह : एक ऐतिहासिक अध्ययन (**1860-1946**)' निम्नांकित अध्यायों में विभक्त होगी :

: प्रस्तावना

प्रथम अध्याय : मिथिला एवं दरभंगा राज का संक्षिप्त इतिहास

द्वितीय अध्याय : प्रारम्भिक जीवन एवं शिक्षा

तृतीय अध्याय : एक कर्मनिष्ठ प्रशासक के रूप में

चतुर्थ अध्याय : भारत के औद्योगिक विकास में महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह का योगदान

पंचम अध्याय : महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार

षष्ट अध्याय : दरभंगा राज और स्वामी विद्यानन्द का किसान आन्दोलन

: उपसंहार

: सन्दर्भ ग्रंथ–सूची

11. स्रोत, सन्दर्भ सूची :

1. प्राथमिक स्रोत :

- रिपोर्ट ऑफ द दरभंगा राज (1860–69)
- रिपोर्ट ऑफ द रीजनल रिकार्ड्स सर्वे कमीटी

- प्रोसिडिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, पॉलिटिकल स्पेशल, (1914—47), बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना

2. द्वितीयक स्रोत :

(क) प्रकाशित पुस्तकें :

1. ओझा, पी॰ एन॰ (सम्पा॰); हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस इन बिहार (1885—1985), पटना 1985
2. कुमार, विजय (सं॰); बिहार विभूति, बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना, 2012
3. चौधरी, पी॰ सी॰ राय; बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, दरभंगा, 1960
4. चौधरी, आर॰ के॰; हिस्ट्री ऑफ बिहार, बनारस, 1958
5. चौधरी, आर॰ के॰; खण्डवा वंश ऑफ मिथिला, पटना, 1960
6. झा, हेतुकर; दरभंगा के एक उदार हिन्दू कुलीन महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह (1860—1929), महाराधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणो फाउण्डेशन, दरभंगा, 2010
7. झा, जटाशंकर; हिस्ट्री ऑफ दरभंगा राज, दिल्ली, 1978
8. झा, तेजकर (सम्पा॰); बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना : ऐतिहासिक दस्तावेजों के आलोक में, दिल्ली, 2015
9. झा, रमण दत्त (सम्पा॰); महाराजाधिराज सर रामेश्वर सिंह, नई दिल्ली, 2018

10. ठाकुर, उपेन्द्र; हिस्ट्री ऑफ मिथिला, दरभंगा, 1956

11. दत्त, कालिकिंकर (सं॰); कम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार, (तीन खण्डों में), पटना, 1986

12. दत्त, कालिकिंकर; हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, (तीन खण्डों में), पटना, 1957

13. दास, अरविन्द नारायण; एग्रेरियन मूवमेंट्स इन इंडिया–ए केश स्टडी ऑफ बिहार, दिल्ली, 1986

14. दास, रास बिहारी; मिथिला दर्पण, दरभंगा, 2006

15. दास, प्रमोदानन्द एवं अमरेन्द्र, कुमार; बिहार : इतिहास एवं संस्कृति, पटना, 2008

16. दास, प्रामोदानन्द; ''स्वामी विद्यानन्द एवं बिहार में किसान आन्दोलन (1919–1922)'', शर्मा, भारती एवं अन्य (सम्पा॰) पुस्तक–प्रयास की परिणिति, पटना : 2017, पृ॰63–75

17. हेनिंघम, स्टीफन; औपनिवेशिक भारत में एक महान राज्य और उसके जमींदार : दरभंगा, 1860–1942, दिल्ली, 1990

18. हेनिंघम, स्टीफन; औपनिवेशिक भारत में किसान आन्दोलन : उत्तरी बिहार, 1917–1942, दिल्ली, 1982